

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड
राजस्व आसूचना निदेशालय

अधिसूचना सं. 9/2019-सीमा शुल्क (गै.टै./सीएए/राआनि)

नई दिल्ली, 12 मार्च 2019

का.आ. (अ). भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग द्वारा सीमाशुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 152 के अनुच्छेद (ए) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. 60/2015-सीमाशुल्क (गै.टै.), संख्या सा.वै.नि. 453(ई), दिनांक 04 जून 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित एवं यथा अधिसूचना सं. 133/2015-सीमाशुल्क (गै.टै.), संख्या सा.वै.नि. 916(ई), दिनांक 30 नवम्बर 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित के द्वारा संशोधित, के अनुसरण में प्रधान महानिदेशक राजस्व आसूचना एतद्वारा अधिसूचना सं. 6/2017-सीमा शुल्क (गै.टै./सीएए/राआनि) दिनांक 31.07.2017, का.आ.2420 (अ) दिनांक 31.07.2017 द्वारा प्रकाशित, में निम्नलिखित संशोधन करते हैं

उपरोक्त अधिसूचना की तालिका के क्रम सं. 7 के स्तंभ सं. 5 में मौजूद प्रविष्टि को "प्रधान आयुक्त/आयुक्त सीमा शुल्क, न्हावा शेवा-I, मुंबई जोन-II, जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस, रायगढ़" से प्रतिस्थापित कर दिया जाए।

[फा. सं. DRI/HQ-CI/50D/CAA-20/2016-CI]

(शैलेश कुमार)
अपर निदेशक

प्रतिलिपि सूचना एवं रिकॉर्ड के अद्यतन हेतु प्रेषित

1. प्रधान आयुक्त/आयुक्त सीमा शुल्क, न्हावा शेवा -I, मुंबई जोन-II, जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस, रायगढ़
2. प्रधान आयुक्त/आयुक्त सीमा शुल्क, न्हावा शेवा -II, मुंबई जोन-II, जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस, रायगढ़
3. अपर महानिदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय, मुंबई ज़ोनल यूनिट
4. मै टिनी फार्म लिं. A-69, एपीआई एस्टेट, सेतापल्ली पोस्ट, तिरुपति और 1^म तल, पद्माशाली युवक संघ, नाइगाओं, दादर, मुंबई.
5. श्री चार्ल्स पैट्रिक, मैडोना, सेंट जोसफ रोड, बांद्रा (प), मुंबई.
6. श्री जिमी उर्फ भविन टिंबडिया, 2/55, डी. एस. नगर, नर्सिंग लेन, मालाड (प), मुंबई-400064.
7. मै साँई श्रद्धा शिपिंग एजेन्सीस प्रा. लिं., 601, अनुराग सीटीएस नंबर 410/411, वामन तुकाराम पाटिल मार्ग, अमन सिनेमा के निकट, चेंबूर, मुंबई-400071